

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 163/2021

.....
एलिस त्रीवी आवेदक

बनाम

.....
मिनापमा लकडा विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती एलिस त्रीवी
 पिता/पति आनन्द मदीह त्रीवी निवास,
 ग्राम दुन्दीरमा डाडुयेली थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित
 विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
 आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>दुन्दीरमा डाडुयेली</u>	<u>गुमला ५५</u>	<u>०४</u>	<u>२६५</u>	<u>०.१८ एम.व्ही. ०.०५ एम.व्ही.</u>
(पाँच इलाक़ा)				

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता
 श्री/श्रीमती मिनापमा लकडा पिता/पति विलियम लकडा
 निवासी ग्राम आनन्द मदीह त्रीवी थाना गुमला जिला
 गुमला को राशि रुपये ६,००,०००/- (छार लाख रुपये मात्र) पर
 बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज
 हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
 नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं।
 अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
 ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के
 पत्रांक २१६ दिनांक २३/११/२१ के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
 जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति केअरवि..... है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारीगुमला..... के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमतीसुनील शर्मा..... पिता/पतिआनन्द मन्दीर..... निवासी ग्रामकुन्दरिया डाडुरेली..... थानागुमला..... जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वाराअनुमति..... प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
कुन्दरिया	गुमला 44	4	265	0.18 ल. में से 0.05 ल.

(कुल रकबा पाँच छिमील)

चौहदी - उत्तर- केच्या रास्ता
पूरब- मनेरमा तोप्यो

दक्षिण- इसी लोकर का अंश
लॉकर नं०-265
पश्चिम- अनुष्ठा तोप्यो

लेखापित एवं संशोधित

अनुष्ठा तोप्यो
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।

अनुष्ठा तोप्यो
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।